



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
रिफॉर्म एवं संस्थागत सुदृढीकरण इकाई,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,
९वां तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या - 158 -उनिलि/रिफॉर्म/प्रोत्साहन भत्ता/2011-12

दिनांक : 27/09/2011

कार्यालय ज्ञाप


उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में "उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता" हेतु कार्यालय ज्ञाप सं०: 128-उनिलि/रिफॉर्म/प्रोत्साहन भत्ता/2008, दिनांक 11.11.08 व 74-उनिलि/रिफॉर्म/प्रोत्साहन भत्ता/2010-11 दिनांक 12.04.10 द्वारा पूर्व में प्रख्यापित "यू०पी०आर०वी०यू०एन०एल० पॉवर जनरेशन इन्सेन्टिव स्कीम" जो 31.03.2011 तक प्रभावी रहनी थी, को एतद्वारा provisionally इस शर्त के साथ, अग्रिम आदेशों तक, बढ़ाये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है कि इस प्रकार प्राप्त प्रोत्साहन भत्ते की राशि को "उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता" की नयी योजना लागू होने के पश्चात् देय धनराशि में समयोजित कर दिया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या- 158-उनिलि/रिफॉर्म/प्रोत्साहन भत्ता/2011-12 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उनिलि के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उनिलि के निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह।
4. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.एम/तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/पर्यावरण/आर.एण्ड.एम./जानपद) उनिलि, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उनिलि, लखनऊ।
6. कंपनी सचिव, उनिलि, लखनऊ।
7. मुख्य परियोजना प्रबन्धक "प्रगति", उनिलि, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक (मा.सं-01/02/03/04/05/06, प्रशिक्षण एवं विकास इकाई, टाण्डा वाईडिंग सेल) उनिलि, लखनऊ।
9. रेजीडेंट आफिसर, नोयडा को उनके कार्यालय में आहरित किये जाने हेतु।
10. सचिव, उत्पादन सेवा आयोग, लखनऊ।
11. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबंधन) उनिलि, लखनऊ।


(राजीव गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)